न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 17/2020 जिला अलवर ।

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री धनीराम पौत्र स्व. श्री तुलसीदास जाति स्वामी निवासीयान ग्राम पोस्ट टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. देवी दयाल।
2. जयभगवान।
3. सतीश पुत्रान स्व. श्रीमति चम्पा।
4. राजरानी पुत्री स्व. श्रीमति चम्पा पुत्री तुलसीदास जाति बेरागी निवासीयान ग्राम पोस्ट टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

रेस्पोडेन्ट्स

5. महावीर
6. इन्द्रपाल पुत्रान स्व. धनीराम पौत्र स्व. श्री तुलसीदास
7. किरण पत्नि रणजीत
8. पुष्पा पत्नि सरजीत
9. सपना पत्नि दिनेश निवासीयान अॅचलपुरी, तहसील मालाखेडा पोस्ट बालेठा जिला अलवर राज।
10. रेखा पत्नि विजेंन्द्र निवासी गांव भूती तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
11. सुनीता अनील निवासी गांव मारोत तहसील व जिला झज्जर हरियाणा।
12. पिंकी पत्नि सुनील निवासी ग्राम भॉडा वास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
13. सरपंच ग्राम पंचायत टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
14. शकुन्तला पुत्री तुलसी दास निवासीयान ग्राम पोस्ट टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2014 उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर बाबत नामान्तकरण संख्या 887 ग्राम टपूकडा दिनांक 02.10.1999 तथा आदेश दिनांक 20.03.2018 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरिप्रसाद जांगिड
2. वकील रेस्पोडेट श्री राजाराम चौधरी

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय

दिनांक–30.12.2020

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 18.02.2014 व आदेश दिनांक 20.03.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 03.04.2018 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड

Scanned by CamScanner

अधिकारी तिजारा, अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत टपूकडा द्वारा इन्तकाल संख्या 887 ग्राम पंचायत टपूकडा तहसील तिजारा के निर्णय दिनांक 02.10.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी अपील में वर्णित किया कि ग्राम पंचायत टपूकडा तहसील तिजारा द्वारा दिनांक 02.10.1999 को मृतक तुलसीदास की विरासत का नामांतरकरण दर्ज करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा वारिसान की बिना जांच किये ही रेस्पोडेंट सं. 02 लगायत 10 के हक मे व उनके पिता मृतक धनीराम व सरस्वती बेवा तुलसीराम साजबाज होकर दर्ज व स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 18.02.2014 के द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की गई। उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2014 व आदेश दिनांक 20.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री धनीराम पौत्र स्व. श्री तुलसीदास द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि विवादित नामांतरकरण 887 ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर दिनांक 2.10.1999 को तस्दीक किया गया था तथा पंद्रह वर्ष पश्चात् नामांतरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के न्यायालय में पेश की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट की बिना सही व पूर्ण तामिल करवाये बगैर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 4 द्वारा फर्जी तरिके से तामिले पूर्ण करवायी गयी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट का सही नाम राजेन्द्र न अंकित कर राजेश के नाम से अपील प्रस्तुत की गयी तथा अपील में टाईटल संशोधित करवाये बिना राजेश के नाम से ही नोटिस जारी किये गये तथा बाद में केवल नोटिस पर ही राजेश को कांट– छांट कर राजेन्द्र अंकित किया तथा फर्जी तरीके से तामील करवाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 व उनकी माताजी कभी भी उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काबिज नही थी और ना ही वर्तमान में काबिज है। इसी प्रकार अन्य तामीले जो वार्ड नं0 14, भटटी गेट, झज्जर, हरियाणा के पते पर करवायी गई है वह सभी तामीले फर्जी तरीके से करवाई गई है। उक्त दर्ज पते पर ना तो अपीलांट ना ही तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 12 निवास करते है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय उपखड अधिकारी तिजारा जिला अलवर दिनांक 18.02.2014 को निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की दिनांक से 04 माह बाद एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया वो भी दिनांक 20.03.2018 को खारिज कर दिया गया।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

3. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नामांतरकरण 887 ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर दिनांक 02.10.1999 को तस्दीक किया गया था तथा पंद्रह वर्ष पश्चात् नामांतरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में पेश की गयी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पंद्रह वर्ष के विलम्ब को क्षम्य किए बिना ही निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। उपखण्ड न्यायालय में अपील में रेस्पोडेंट संख्या दो पर राजेश अंकित किया गया है अर्थात राजेश के खिलाफ अपील पेश की गई है। जबकि राजेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा बिना राजेश की तामील कराए निर्णय पारित किया गया है। तामील कुलिंदा द्वारा नोटिस पर राजेश के स्थान पर राजेन्द्र का नाम अंकित कर गलत रूप से गवाह के हस्ताक्षर करवाए, जबकि वह उस गॉव के निवासी नही हैं। सम्मन में समस्त गवाह एक ही पते के है। रेस्पोडेंट की बिना प्रॉपर तामील करवाए निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उनका बहस में यह भी कथन था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) में 2004 के बाद बेटियों को अपने पिता की भूमि में अधिकार दिए गए हैं जबकि इससे पूर्व उनके अधिकार नहीं थे। बहस में उनका यह भी कथन था कि उनके द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 रूल 21 व धारा 151 जाप्ता दीवानी गलत रूप से खारिज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एक तरफा है

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

जिसमें अपीलांट को नोटिस प्रॉपर तामील नहीं करवाए गए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश निरस्त किए जाएं। उनका बहस में यह भी कथन था कि चम्पादेवी ने अपने जीवन काल में पिता की भूमि में अधिकार नहीं मॉगे। यदि वह तुलसीदास की पुत्री है तो भी उसके हक में यदि नामांतरकरण नहीं खोला गया है तो उसके बाद उसके वारिसान के हक में नामांतरकरण नहीं खोला जा सकता। नामांतरकरण खोलने से पहले चम्पा देवी मर गई। उसके वारिसान के हक में नामांतरकरण खोला जाना संभव नहीं है । उनके द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2019(1) WLC (SC) Civil 796, 2019 (1) WLC (SC)Civil 564, 2019 (1) WLC(SC) Civil 37, 2011(1) RRT 421, 2008 (2) RRT1081, 2004(1) RRT 576 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाए ।

4. रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन था कि राजेश के स्थान पर राजेंद्र नाम न्यायालय के आदेश से किया गया है। क्योंकि तुलसीदास की मृत्यु होने पर गलत रूप से उसके खाते की भूमि का नामांतरकरण उसकी पत्नी सरस्वती व पुत्र धनीराम के हक में खोल दिया गया तथा उसकी पुत्रियों के हक में नहीं खोला गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को इस आदेश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि वह इन्तकाल की पुनः जॉच कर निस्तारण करें । इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है क्योंकि तुलसीदास की भूमि में उसकी पुत्रियों का भी पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2020(2) RRT 998 पेश किया । इसके अलावा उनका बहस में यह भी कथन था कि नामांतरकरण कार्रवाई एक समरी कार्यवाही है इसमें कब्जे के विवाद को भी नहीं देखा जाता । दो आदेश के खिलाफ एक अपील की गई है जो मेंटेनेबल नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2021(1) RRT 198, 2020(1) RRT 83, 2020(2) RRT819 पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील खारिज की जाए ।

5. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । चूंकि अपीलांट राजेंद्र को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया व उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसे आदेश की जानकारी होना साबित नहीं होता । अतःन्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित नामांतरकरण संख्या 887 तुलसीदास की मृत्यु पर उसकी बेवा सरस्वती तथा उसकी पुत्र धनीराम के हक में दिनांक 2.10.1999 को तस्दीक किया गया है । इसकी अपील देवी दयाल वगैरह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, तिजारा न्यायालय में नहीं की गई। इसमें रेस्पोडेंट संख्या दो राजेश को बनाया गया। अपीलांट का कथन था कि राजेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। राजेश के नोटिस में काटकर राजेंद्र किया जाकर गलत रूप से उसकी तामीली करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या दो राजेश को बनाया गया है तथा नोटिस भी राजेश का ही जारी किया गया है। न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेंट संख्या 2 राजेश को राजेंद्र करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजेश को नोटिस भेजा गया व राजेश के नाम जारी नोटिस में उसे काट कर राजेंद्र करना गलत है। इससे स्पष्ट है कि राजेंद्र अपीलांट की सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा भी अन्य रेस्पोडेंट की अधीनस्थ न्यायालय में प्रॉपर तामील होना नहीं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में बिना अपीलांट की सुनवाई किए अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

(सुरेन्द्र गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 रूल 21 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भी खारिज करने में त्रुटि की है क्योंकि जब राजेंद्र को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया था तथा उसकी तामील नहीं हुई तो उसे समुचित पैरवी का भी अवसर प्राप्त होना नहीं पाया जाता। न्यायालय को एक पक्षीय

Scanned by CamScanner

आदेश को निरस्त करके उसे इसकी सुनवाई करनी चाहिये थी। रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होता। उपखण्ड न्यायालय में अपील में तुलसीदास के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि चम्पा के वारिसान देवीलाल वगैरह का विवादित आराजी में हिस्सा होना माना जाता है तो उसके समस्त पुत्र व पुत्रियों व अन्य वारिसान को भी अपील में पक्षकार बनाना चाहिए था। बिना पक्षकार बनाए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने में त्रुटि की गई है। अपीलांट द्वारा पेश किए गये न्यायिक दृष्टांत 2019(1) WLC (SC) Civil 796, 2019 (1) WLC (SC)Civil 37, 2011(1) RRT 421, RRT 2008(2)1082 के अनुसार भी धारा 5 के अंतर्गत पेश आवेदन पर अपील निर्णित करने से पूर्व मियाद के प्रश्न को पहले निर्णित करना चाहिए था। इसके अलावा विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण भी रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेश की गई अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है इसमें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि कारित करना पाया जाता है। 15 वर्ष पश्चात् रेस्पेडेंट द्वारा मृतक तुलसीदास के विरासत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने की अपील पेश की जबकि इस संबंध में उसे खातेदारी घोषणा का वाद दायर करना चाहिए था ।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर दिनांक 18.02.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 887 वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर दिनांक 02.10.1999 बहाल रखा जाता है। परिणामतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर का आदेश दिनांक 20.03.2018 स्वतः ही प्रभावहीन रहेगा।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपील सं. 17/2020 (9)

2020/00323

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सं LR Act/अलवर/103/2018

राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री धनीराम पौत्र स्व. श्री तुलसी दास जाति स्वामी, आयु करीब 55 वर्ष, निवासीयान– ग्राम पोस्ट टुपकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1. देवी दयाल
2. जय भगवान
3. सतीश पुत्रान स्वं श्रीमति चम्पा
4. राजरानी पुत्री स्वं श्रीमति चम्पा पुत्री तुलसी दास जाति बेरागी, निवासीयान– ग्राम पोस्ट टुपकडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0। मुख्तार–आम ओम प्रकाश पुत्र श्रीमुलचन्द जाति –गुंर्जर,निवासी ग्राम बुरहेडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान ।

असल रेस्पोन्डेंट

5. महावीर,
6. इन्द्रपाल, पुत्रान स्व. धनीराम पौत्र स्व. श्री तुलसी दास,
7. किरण पत्नी रणजीत
8. पुष्पा पत्नी सरजीत
9. सपना पत्नी दिनेश निवासीयान ॲचलपुरी,तहसील मालाखेडा, पोस्ट बालेठा जिला अलवर राज।
10. रेखा पत्नी विजेंन्द्र निवासी गाव– भूती, तहसील बहरोड, जिला अलवर राज0।
11. सुनीता अनील, निवासी गॉव मारोत, तहसील व जिला झज्जर हरियाणा।
12. पिंकीपत्नी सुनील निवासी ग्राम भॉडा वास, तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
13. सरंपच ग्राम पचांयत टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर। राज0

Scanned by CamScanner